न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—91/12 (2012/00058) वाद पत्र

उनवान

1—कंकुदेवी पुत्री गोधावन पत्नि सुवानाथ जोगी निवासी मियाला हाल पालरां तहसील रायपुर
2—नेनुदेवी पुत्री गोधावन पत्नि कालुरावल जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—बरदावन आत्मज गोधावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—केलादेवी पुत्री बरदावन पत्नि नारायणनाथ जोगी नि. कोठेरी तहसील आमेट जिला राजसमंद
1/2—सुखीदेवी पुत्री बरदावन पत्नि नारायणनाथ जोगी नि. कोठेरी तहसील आमेट जिला राजसमंद
2—कुकावन आत्मज गोधावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1/1—सुगनाबाई बेवा कुकावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3—नेनुवन पिता छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—लक्ष्मण पिता छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5—पारसी पुत्री छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6—लक्ष्मीदेवी पुत्री छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7—श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8—शाखा प्रबन्धन सहकारी भुमि विकास बैंक लिमिटेड गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 02.02.2021

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मियाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में वादीगण एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 की मौरूषी साबिक कृषि आराजी संख्या 18 रकबा 14 बीघा 4 बिस्वा, आराजी संख्या 104/4 रकबा 5 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 19 बीघा 6 बिस्वा भूमि स्थित है जो संवत 2045 से 2048 की जमाबंदी में वादीगण के पिता गोधावन [illegible] के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज चली आ रही थी। प्रमाण में नकल जमाबंदी [illegible] साथ प्रस्तुत की है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 5 संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होकर हिन्दू विधि से शासित होते है। उक्त वर्णित भूमि का विभाजन नहीं हुआ है, वादीगण [illegible] हिस्सेअनुसार वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। वादीगण के पिता की मृत्यु सन् 1992 में होने पर वादवर्णित भूमियों का विरासत से नामान्तरणकरण दर्ज करते समय ग्राम पंचायत बागड़ द्वारा वादीगण को बिना सूचना दिये अवैधानिक रूप से नामान्तरणकरण संख्या 328 दिनांक 06.06.1992 प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 से 5 के पिता के नाम दर्ज कर दिया जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:46 IST
Reason: SelfAttested

विधिविरूद्व होकर वादीगण के मुकाबले शुरू से नल एण्ड वोईड होकर बेअसर है। वादीगण का वादग्रसत भूमियों में जन्म से ही हक व हिस्सा है तथा वादीगण मृतक गोपावन उर्फ गोधावन की जायन्दा पुत्रीया होने से वादग्रस्त भूमि में वादीगण प्रत्येक का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा 3 से 5 के साथ जन्म से समान हक है जिससे वादीगण अपने 1 / 5, 1 / 5 हिस्से की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की अधिकारी है। ग्राम मियाला का भू प्रबन्ध हो जाने से साबिक कृषि आराजियात के नवीन नम्बर 23 रकबा 3.09 है0, आराजी संख्या 162 रकबा 1.08 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 4.17 है0 कायम किये गये। प्रमाण में नकल जमाबन्दी की वादपत्र के साथ पेश की है। वादीगण अपने 1 / 5, 1 / 5 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है विधि विरूद्व रूप से दर्ज किये गये नामान्तरण संख्या 328 की वजह से वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही होने का नाजायज फायदा उठाकर अपने 1 / 5 हिस्से के बजाय 1 / 3 हिस्से की वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 6 के पक्ष में दिनांक 05.07.2012 को गिप्ट डीड निष्पादित करवा दी। उक्त गिप्ट डीड वादीगण के मुकाबले शुरू से विधि विरूद्व होने से प्रतिवादी संख्या 6 को कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रतिवादी संख्या 6 गिप्ट डीड के आधार पर 1 / 5 हिस्से की ही अधिकारी है और 1 / 3 हिस्से का अन्तरण किया गया शुन्य है। प्रतिवादी संख्या 6 वादीगण को बेदखल करने की कोशिश कर रही तथा अपने नाम नामान्तरण दर्ज करवा अपने हिस्से की भूमि को विक्रय करने पर आमादा है जिससे प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक हो गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय कि घोषणात्मक डिक्री सादिर फरमाई जावे कि उक्त वर्णित नवीन आराजी कुल किता 2 कुल रकबा 4.17 है0 भूमि मे वादीगण प्रत्येक का 1 / 5, 1 / 5 हिस्से की खातेदार काश्तकार है तथा नामान्तरणकरण संख्या 328 दिनांक 06.06.1992 व गिप्ट डीड दिनांक 05.07.2012 विधि विरूद्व होने से वादीगण के मुकाबले बेअसर होने से वादीगण अपने 1 / 5, 1 / 5 हिस्से के अधिकारी है तदनुसार वादीगण का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाया जावें साथ ही बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री सादिर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण वादीगण के 2 / 5 हिस्से में किसी प्रकार की दंखलदाजी न तो स्वयं करे, न किसी अन्य से करावे, यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण वादीगण के उनके 2 / 5 हिस्से से बेदखल कर देवे तो जरिये आदेशात्मक आज्ञा से पुनः वादीगण को कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 7 राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 01.10.2012 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को समन जारी किये गये। समन की पालना मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से दिनांक 17.10.2019 को उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। एंव प्रतिवादी संख्या 6 व 7 फौरमल पक्षकार होने से कोई राहत नही चाही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:46 IST
Reason: SelfAttested

वाद के समर्थन में वादी अधिवक्ता द्वारा, वादीगण के बयान कराये गये जो पीडब्ल्युडी 1 और 2 है और एकपक्षीय बहस सुनी गई।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड और वादीगण द्वारा प्रस्तुत बयानो आदि का अवलोकन करने पर पाया कि वादवर्णित भूमि का मूल खातेदार गोपावन पिता राजुवन जोगी थे जो वादीगण के पिता होकर मूल पुरूष थे वादीगण के पिता फोत होने पर विरासत के रूप में जरिये नामान्तरणकरण संख्या 328 दिनांक 06.06.1992 को मृतक खातेदार के पुत्र बरदावन, छोगावन और कुकावन पिता गोपावन के नाम भूमि दर्ज हुई जबकि वादीगण के अनुसार खातेदार गोपावन के 2 पुत्रीयां थी जो वादीगण है का नाम विरासत के दौरान राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही किया गया जबकि वादीगण मृतक खातेदार के विधिक वारीस है जिनका जन्म से समान हक अधिकार है। वादीगण द्वारा वाद को रेकार्ड और बयान से प्रमाणित कराया गया है प्रतिवादी संख्या 1 बरदावन के द्वारा राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपने 1 / 3 सम्पूर्ण हिस्सा लक्ष्मीदेवी पुत्री बरदावन के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड दस्तावेज के दिनांक 05.07.2012 को गिप्ट कर दी गई जबकि वादवर्णित भूमि वादीगण की पैतृक होने से प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1 / 3 के बजाय 1 / 5 हिस्सा ही बनता है। उक्त गिप्ट डीड से वादीगण का हिस्सा प्रभावित नही होता है चुकि पैतृक भूमि में मृतक खातेदार के जितने भी विधिक वारीस होते है उनका सबका बराबर हिस्सा निहित होता है। इस प्रकरण में भी वादीगण का एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 से 5 के पिता का समान रूप से 1 / 5 हिस्सा, 1 / 5 हिस्सा होता है ऐसी स्थिति वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना विधि के परिपेक्ष्य में न्यायोचित है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में अकिंत आराजी संख्या 23 रकबा 3.09 है0, आराजी संख्या 162 रकबा 1.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.17 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1 / 5, 1 / 5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.02.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:46 IST
Reason: SelfAttested

02-02-2021

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–91 / 12 (2012 / 00058) वाद पत्र

उनवान

1–कंकुदेवी पुत्री गोधावन पत्नि सुवानाथ जोगी निवासी मियाला हाल पालरां तहसील रायपुर
2–नेनुदेवी पुत्री गोधावन पत्नि कालुरावल जोगी निवास़ी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–बरदावन आत्मज गोधावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1 / 1–केलादेवी पुत्री बरदावन पत्नि नारायणनाथ जोगी नि. कोठेरी तहसील आमेट जिला राजसमंद
1 / 2–सुखीदेवी पुत्री बरदावन पत्नि नारायणनाथ जोगी नि. कोठेरी तहसील आमेट जिला राजसमंद
2–कुकावन आत्मज गोधावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर मृतक के बजाय
1 / 1–सुगनाबाई बेवा कुकावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3–नेनुवन पिता छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4–लक्ष्मण पिता छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5–पारसी पुत्री छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6–लक्ष्मीदेवी पुत्री छोगावन जोगी निवासी मियाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7–श्रीमान् तहसीलदार साहब एवं पदेन उपपंजीयक महोदय रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8–शाखा प्रबन्धन सहकारी भुमि विकास बैंक लिमिटेड गंगापुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मियाला पटवार हल्का बागड़ तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में अकिंत आराजी संख्या 23 रकबा 3.09 है0, आराजी संख्या 162 रकबा 1.08 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 4.17 है0 भूमि में वादीगण प्रत्येक को 1 / 5, 1 / 5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार अन्तिम डिक्री जारी हो।

वाद में डिक्री आज दिनांक 02.02.2021 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.02.19 16:15:46 IST
Reason: SelfAttested

02-02-2021

(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते